बिहार सरकार

परिवहन विभाग

पत्रांक– 2478 /गो०

प्रेषक,

संजय कुमार अग्रवाल, भा.प्र.से.
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
–सह–
अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
बिहार।

पटना–15, दिनांक– 8/5/2020

विषयः– **COVID-19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु लागू लॉकडाउन की स्थिति में रेलमार्ग द्वारा राज्य के बाहर आने वाले अप्रवासी मजदूरों को गृह जिला पहुँचाये जाने हेतु परिवहन व्यवस्था के संबंध में।**

प्रसंगः– परिवहन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–2466 दिनांक–07.05.2020 एवं पत्रांक–2465 दिनांक–07.05.2020।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों का कृपया संदर्भ लिया जाए जिसके द्वारा राज्य के बाहर से ट्रेन से आने वाले प्रवासी मजदूरों एवं अन्य लोगों को गंतव्य जिला तक पहुँचाने हेतु ट्रेनों के प्रमुख ठहराव स्थल वाले जिलों द्वारा ही वाहन की पर्याप्त व्यवस्था करने का निदेश सभी जिला पदाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को दिया गया है। साथ ही अन्तर्राज्यीय सीमा (कैमूर एवं गोपालगंज) पर बस एवं अन्य वाहनों (ट्रेन छोड़कर) से आनेवाले अप्रवासी मजूदरों एवं अन्य लोगों को उनके गृह जिलों तक सुरक्षित परिवहन हेतु 08 ट्रान्जिट केन्द्र बनाए गये हैं। ट्रान्जिट केन्द्र वाले जिले कैमूर/गोपालंगज जिला के द्वारा भेजे गये लोगों को अपने वाहनों से उनके गृह जिला में भेजेंगे।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त के आलोक में सतत अनुश्रवण करने की कृपा की जाय। किसी जिले में बसों की कमी के स्थिति में प्रमंडल स्थित अन्य जिलों से टैगिंग कर बसों की उपलब्धता के लिए आपको प्राधिकृत किया जाता है।

विश्वासभाजन
(हस्ताक्षर) 8/5
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 2478 **/पटना, दिनांकः–** 8/5/2020

प्रतिलिपि–सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 8/5
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 2478 **/पटना, दिनांकः–** 8/5/2020

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 8/5
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

Scanned with CamScanner